पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1147

दिनांक-09.07.2026

जोन- उत्तरी/ थाना- अलीगंज

➢ **थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने वाला 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक **08.07.2026** को वादी द्वारा थाना अलीगंज पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि उनकी **13 वर्षीय नाबालिग पुत्री** के साथ अभियुक्त द्वारा लगातार छेड़छाड़ कर उसे परेशान किया जा रहा था। जब वादी द्वारा इसका विरोध किया गया तो अभियुक्त ने उनके साथ मारपीट करते हुए हमला किया, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अलीगंज पर **मु0अ0सं0 128/2026** अंतर्गत धारा **74/351(2)/324(4) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)** एवं **11/12 पॉक्सो अधिनियम** के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी निरीक्षक अलीगंज द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए साक्ष्यों का संकलन एवं संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी गई। अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप नामित अभियुक्त **चंचल सिंह पुत्र सर्वेश कुमार सिंह**, मूल निवासी ग्राम बालामऊ सुखेना, थाना कछौना, जनपद हरदोई, हाल पता किराये का मकान, मकान मालिक सतेन्द्र राय, त्रिवेणीनगर-3, थाना अलीगंज, लखनऊ, उम्र लगभग **18 वर्ष** (इंटरमीडिएट का छात्र) को दिनांक **08.07.2026** को समय **22:30 बजे** नियमानुसार माननीय न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01-चंचल सिंह पुत्र सर्वेश कुमार सिंह नि0 मूल पता ग्राम बालामऊ सुखेना थाना कछौना जनपद हरदोई हाल पता किराये का मकान, मकान मालिक सतेन्द्र राय त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 18 वर्ष (इंटरमीडिएट का छात्र)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना अलीगंज

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार गुप्ता थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. का0 मंगला प्रसाद यादव थाना अलीगंज जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1144
दिनांक-09.07.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-काकोरी

- **थाना काकोरी व सर्विलांस(पश्चिमी) की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

थाना काकोरी पर दिनांक 08.07.2026 को वादी श्री मस्तराम रावत पुत्र सीताराम निवासी ग्राम दोना, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ द्वारा अपने सगे भाई **दिलीप रावत (उम्र लगभग 30 वर्ष)** के दिनांक 07.07.2026 को घर से ₹80,000 लेकर ऑटो-रिक्शा खरीदने हेतु मुजीब उर्फ मुन्ना पुत्र हैदर के साथ जाने तथा वापस न लौटने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना काकोरी पर **मु0अ0सं0 222/2026, धारा 140(1) बीएनएस** पंजीकृत कर तत्काल तलाश प्रारंभ की गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना काकोरी पुलिस द्वारा परिजनों के साथ तलाश हेतु दो टीमें गठित की गईं तथा सर्विलांस टीम की सहायता से मोबाइल नंबरों का विश्लेषण कराया गया। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि भलिया अंडर एक्सप्रेस-वे के आगे एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल को सुरक्षित कराया गया तथा फील्ड यूनिट द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करते हुए फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई गई। परिजनों द्वारा शव की पहचान **दिलीप रावत** के रूप में की गई। शव को पंचायतनामा की कार्यवाही उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया।

घटना के शीघ्र अनावरण हेतु सर्विलांस टीम सहित कुल तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया। लगातार की गई दबिश एवं सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप पुलिस टीम ने दिनांक **09.07.2026** को नामजद अभियुक्त **मुजीब उर्फ मुन्ना पुत्र हैदर**, निवासी ग्राम नकटौरा, मजरा दोना, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से मृतक का लूटा गया मोबाइल फोन एवं **₹4,800** नकद बरामद किए गए।

02-पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त मुजीब उर्फ मुन्ना ने पूछताछ में बताया कि वह ऑटो-रिक्शा चालक है। दिनांक 07.07.2026 को उसकी मुलाकात दिलीप रावत से हुई, जो नया टेंपो खरीदने के लिए घर से रुपये लेकर आया। दोनों ने ऑटो एजेंसी पहुंचकर टेंपो की बुकिंग हेतु ₹50,000 तथा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ₹1,000 जमा किए। इसके बाद दोनों ने शराब पी तथा मृतक का परिचित शक्ति नामक युवक के साथ घुरघुरी तालाब गए, जहां दिलीप ने लगभग ₹12,000 का नया मोबाइल फोन खरीदा, जिसमें अभियुक्त ने अपना सिम कार्ड डाल लिया। इसके बाद तीनों पुनः बड़ागांव अंडरपास लौटे और वहां पुनः शराब पी। कुछ देर बाद शक्ति अपने गांव चला गया। अभियुक्त ने बताया कि मोबाइल फोन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। गांव लौटते समय नागेश्वर मंदिर के पास उसने सिगरेट पीने के बहाने टेंपो रुकवाया और अंगोछे से दिलीप का गला कसकर उसकी हत्या कर दी।

इसके बाद शव को एक्सप्रेस-वे की सर्विस रोड के किनारे फेंक दिया तथा मृतक का मोबाइल फोन एवं शेष नकदी लेकर फरार हो गया। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने मोबाइल फोन एवं पैसों के लालच तथा शराब के नशे में इस घटना को अंजाम दिया।

अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमे **में धारा 140(1)/103(1)/309(6)/238/ 317(2) बीएनएस एवं 3(2)(5) एससी/एसटी अधिनियम की बढ़ोत्तरी करते हुए** अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

03.बरामदगी का विवरण

- 1.मृतक दिलीप से लूटा हुआ एक अदद मोबाईल फोन (ए0आई0 प्लस कम्पनी)
- 2.नगद 4800/- रूपये
- 3.घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा नंबर UP32TT4614

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मुजीब उर्फ मुन्ना पुत्र हैदर निवासी नकटौरा, दोना थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष

05-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 222/2026 धारा 140(1)/103(1)/309(6)/238/317(2) बीएनएस एवं 3(2)(5) एससी/एसटी अधिनियम थाना काकोरी

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक सतीश चन्द्र राठौर थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री छत्रजीत सिंह थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री अंकित यादव थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
5. का0 गौरव भदौरिया थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।

07-सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन लखनऊ का विवरण-

1. उ0नि0 श्री अंकित कुमार प्रभारी सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन लखनऊ।
2. मु0आ0 शमीम अहमद सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन लखनऊ।
3. मु0आ0 वीर सिंह सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन लखनऊ।
4. मु0आ0 प्रदीप तिवारी सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन लखनऊ।
5. आ0 आशीष कुशवाहा सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1145
दिनांक-09.07.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-कैसरबाग

- **थाना कैसरबाग व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद रिवाल्वर .32 बोर फैक्ट्री मेड व 02 अदद खोखा कारतूस व 04 अदद जिंदा कारतूस .32 बोर तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कूटी UP32QP4229 बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 08/07/2026 को थाना कैसरबाग पर वादिनी श्रीमती आफरीन हुसैन पत्नी फजील हुसैन निवासी तालाब गगनी शुक्ल माडल हाउस थाना कैसरबाग लखनऊ द्वारा लिखित सूचना बावत प्रतिवादी द्वारा वादिनी के घर मे घुस कर वादिनी के पति फजील हुसैन को जान से मारने की नियत से रिवाल्वर से कई गोली चलाने पर वादिनी के पति के सीने मे गोली लगने के सम्बन्ध में दाखिल किया। इस सूचना के आधार पर आरोपी मो0 इल्यास पुत्र अहमद अली निवासी 240/156 मुर्तजा हुसैन रोड राजा बाजार थाना चौक लखनऊ के विरुद्ध थाना कैसरबाग पर मु0अ0सं0- 122/2026 धारा 333/109 BNS पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त की विवेचना वर्तमान में उ0नि0 रणजीत सिंह द्वारा संपादित की जा रही है।

विवेचना के क्रम में थाना कैसरबाग पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना के अंजाम देने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही थी कि जरिये मुखबिरखास सूचना मिली। इस सूचना पर विश्वास कर थाना कैसरबाग पुलिस टीम मय मुखबिर के मौके से रवाना होकर परिवर्तन चौक के पास पहुँच गयी और आने वाले सफेद स्कूटी सवार का इंतजार करने लगे, थोडी देर पश्चात एक व्यक्ति स्वास्थ्य भवन चौराहे की तरफ से परिवर्तन चौक की तरफ सफेद स्कूटी से आता दिखाई दिया, जैसे ही स्कूटी सवार करीब आया कि पुलिस टीम ने घेर घार कर पकड़ लिया।

पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर इधर उधर की बाते करने लगा। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि मेरा नाम मो0 इलियास उर्फ अत्तू पुत्र अहमद अली निवासी 240/156 मुर्तजा हुसैन रोड राजाबाजार थाना चौक लखनऊ उम्र करीब 43 वर्ष है। भागने का कारण पूछने पर बताया कि मुझसे गलती हो गयी है। मैंने अपने साले को गोली मार दिया है। मुकदमें में 318(4) BNS व 3/5/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि करते हुए पकड़े गये आरोपी उपरोक्त को उनके द्वारा किए गये जुर्म धारा 109/333/318(4) BNS व 3/5/27 आर्म्स एक्ट से अवगत कराकर दिनांक 08/07/2026 समय करीब 23.45 बजे बकायदा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करते हुए बजाफ्ता मौके पर हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त को वास्ते रिमाण्ड प्राप्त करने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

आरोपी से पूछने पर माफी मांगते हुये बताया कि मैं बहुत परेशान था, मेरी पत्नी मुझे व मेरे बच्चों को छोड़कर मायके मे रहने लगी थी। मैने काफी समझाने का प्रयास किया व रिश्तेदारों के माध्यम से भी तालमेल करने का प्रयास किया, मगर वह मेरे साथ रहने को तैयार नही हो रही थी।

मेरे बच्चो की पढ़ाई लिखाई खराब हो रही थी। जिसमे उसका भाई भी उसकी मदद कर रहा था। दिनांक 08/07/2026 सुबह करीब 03.00 बजे मैं अपनी इसी स्कूटी से अपने घर से ससुराल तालाब गगनी शुक्ल माडल हाउस आया। सीढ़ी के माध्यम से घर पर चढ़ गया। मैने अपने साले का दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा जैसे ही खोला, मैने जान से मारने की नियत से उसके उपर कई गोलियाँ दाग दिया और उतरकर भाग गया। सरेंडर करने के फिराक में था कि आप लोगों ने पकड़ लिया गया।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0- 122/2026 धारा 109/333/318(4) व 3/5/27 आर्म एक्ट थाना कैसरबाग लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

(1) मो0 इलियास उर्फ अत्तू पुत्र अहमद अली निवासी 240/156 मुर्तजा हुसैन रोड राजाबाजार थाना चौक जनपद लखनऊ उम्र करीब 43 वर्ष

05-बरामदगी

- 01 अदद रिवाल्वर .32 बोर फैक्ट्री मेड
- 02 अदद खोखा कारतूस .32 बोर
- 04 अदद जिंदा कारतूस .32 बोर
- घटना में प्रयुक्त स्कूटी UP32QP4229

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम

1. प्र0नि0 अंजनी कुमार मिश्र – थाना कैसरबाग लखनऊ
2. उ0नि0 अरविंद कुमार – थाना कैसरबाग लखनऊ
3. उ0नि0 रणजीत सिंह – थाना कैसरबाग लखनऊ
4. उ0नि0 प्रशांत कुमार – थाना कैसरबाग लखनऊ
5. उ0नि0 पवन मौर्य – थाना कैसरबाग लखनऊ
6. उ0नि0 अंकित कुमार – सर्विलांस सेल
7. हे0का0 प्रदीप तिवारी – सर्विलांस सेल
8. हे0का0 वीर सिंह – सर्विलांस सेल
9. हे0का0 समीम अहमद – सर्विलांस सेल
10. का0 अक्षय कुमार – थाना कैसरबाग लखनऊ
11. का0 आशीष कुश्वाहा – सर्विलांस सेल

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1146
दिनांक-09.07.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-पारा

- **जनता के सहयोग से मंदिर से चोरी किए गए पीतल के घंटों के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण –

पिछले कुछ दिनों से प्राचीन बुद्धेश्वर महादेव मंदिर से घंटों के चोरी होने की लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस संबंध में स्थानीय लेखपाल वादी श्री आनन्द श्रीवास्तव द्वारा थाना पारा लखनऊ में तहरीरी सूचना मु0अ0सं0 466/2026 व धारा 305(D)/317(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 08.07.2026 की शाम को मंदिर के सेवादार गोलू उर्फ गौरव पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी बजरंग विहार बुद्धेश्वर मोहान रोड थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष को स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने मंदिर से घंटे चोरी करके ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा तथा पुलिस को सूचना दी गयी। पकड़े गए अभियुक्त के पास से चोरी किए गए घंटों से भरा एक पीठू बैग जिसमें 10 अदद मन्दिर के बड़े घण्टे पीतल के व 01 अदद छोटी घण्टी पीतल की तथा 05 अदद घण्टा बांधने की जंजीर लोहे की व 01 अदद लोहे का कुण्डा बरामद हुआ।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त गोलू उर्फ गौरव ने बताया कि वह स्वयं मंदिर में सेवादार है और उसे मंदिर परिसर में ही रहने के लिए कमरा दिया गया था। सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर (DVR) व कंट्रोल सिस्टम भी उसी के कमरे में होने के कारण उसे कैमरों की स्थिति की पूर्ण जानकारी थी। अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए वह सुनियोजित तरीके से घंटों को चोरी कर अपने बैग में छिपा लेता था, ताकि घण्टो की संख्या अधिक होने पर उन्हें एक साथ बेच सके। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-गोलू उर्फ गौरव पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी बजरंग विहार बुद्धेश्वर मोहान रोड थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष

03-बरामदगी का विवरण –

- 10 अदद मन्दिर के बड़े घण्टे पितल के
- 01 अदद छोटी घण्टी पितल की
- 05 अदद घण्टा बांधने की जंजीर लोहे की
- 01 अदद लोहे का कुण्डा

04-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 466/2026 व धारा 305(D)/317(2) बी0एन0एस0 थाना पारा जनपद लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्री सुरेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री चेतन आजाद थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
3. का0 बादल थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ
4. का0 अरविन्द कुमार थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ